

भाग - 4] नीति निर्देशक तत्व

इसे भाग - 4 में अनुच्छेद ३६-५१ के बिच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया था एवं ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं। किन्तु संविधान बनते समय सरकार के पास इन्हें ध्यन तथा संसाधन नहीं थे। जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार कि इच्छा पर विर्ति है। जिस कारण के दी साह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व इस चैक के समान है। जिसका भुगतान बैंक द्वारा अपनी इच्छातुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य समाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र कि स्थापना करना है।

अनुच्छेद ३६ → परिभाषा

अनुच्छेद ३७ → इसे व्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
 अर्थात् यह व्यायालय द्वारा प्रवित्तनिय नहीं है या वाढ़ घाय
 नहीं है। प्रवित्तनिय
लागू वाढ़ घाय
बढ़स

अनुच्छेद ३८ → लोक कल्याण कि अगिवृती अर्थात् सरकार जनता का कल्याण करेगी। ऐसे - राशन कार्ड। [समाजिक आर्थिक राजनीतिक व्याय]

अनुच्छेद ३९ → समानकाम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का अधिक वितरण

अनुच्छेद ३९(क) निःशुल्क विधि (कानूनी) संघयता [४२ वां संशोधन] । १९७६

अनुच्छेद ४० → ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद ४१ → कुछ दृष्टाओं में सरकारी संघयता [काम, शिक्षा प्राप्त करना जैसे - वृद्धा पेंशन, विष्वा पेंशन, विकलाग को सहित]

अनुच्छेद ४२ → व्यायसंगत कार्य की मनोवित द्वा तथा प्रमुखी संघयता उपनिषद् करना जैसे - जर्मावरी महिला हारा क्षेत्र शारिरिक त्रम न करना

अनुच्छेद ४३ → निर्वाह योग मजदुरी अर्थात् इनना वेरन दिया जाये की परिवार चला सके। [कृतीर उद्योग]

TRICK → दमन
↓ ↓ ↓
४१ ४२ ४३

अनुच्छेद ४३(क.) उद्योग प्रबंधन में कामगारों की आजीकरण

अनुच्छेद 44 → समान शिविल संहिता अर्थात् सभी व्यर्मो के लिए विवाह एवं तलाक कि शर्तें समान रैखी भले ही विवाह कि वित्तिया अलग हो।

Note → अपराध के कानून के दृंग संहिता तथा चुनाव के कानून आधार संहिता कहते हैं।

अनुच्छेद 45 → 6 वर्ष के ऋम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार कि जिम्मेदारी है। तथा 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकारी कि जिम्मेदारी है।

Note → शिक्षा के अधिकार को अमूल अधिकार बनाकर शाक में जोड़ दिया है। [संघीय संशोधन 2002]

अनुच्छेद 46 - SC/ST/OBC के लिए विशेष आरक्षण

अनुच्छेद 47 → सरकार प्रोशायुक्त आधार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिवेद लगाएगी।

अनुच्छेद 48 क. → पर्यावरण वन तथा बन्य जीव कि रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। [42वां संशोधन 1976]

अनुच्छेद 49 → राष्ट्रीय समाजों की रक्ता करना सरकार का कठिय होगा।

अनुच्छेद 50 → कार्यपालिका से व्यापालिका को अलग करना

अनुच्छेद 51 → अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बढ़ावा देना। अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य बना

निरी-निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण

* निरी निर्देशक तत्व के तीन भाग में वॉल्टे हैं।

(i) गांधीवादी - अनु 40, 43 & 46, 47

(ii) समाजवादी - 38, 39, 39(क.) 41, 42, 43

(iii) वीहिक या भारगादी → 44, 45, 48, 48 & 49, 50, 51

Note → मिनरमा मिल और मुक्तमे में व्यायालय ने कहाँ कि सरकार निरी-निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दें। अर्थात् संतुलन बनाये रखें। व्यायालय ने कहाँ कि निरी निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुँचने का साधन मूल अधिकार है।

* मुल अधिकार तथा निति निर्देशक तत्व मे अंतर :-

मुल अधिकार	निति निर्देशक तत्व
(i) इसे USA से लिया गया है।	इसे आयरलैण्ड से लिया गया है।
(ii) इसे भाग - ३ मे रखा गया है।	इसे भाग ५ मे रखा गया है।
(iii) यह नैसर्जिक अधिकार होता है।	यह नैसर्जिक नहीं होता है तथा
तथा जन्म से हि मिल जाता है।	सरकार के लागू करने के बाद मिलता है।
(iv) यह व्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य है।	यह व्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग नहीं है।
(v) यह सरकार की शक्तियों को धटा देता है अर्थात् ऋणात्मक है।	यह सरकार कि अधिकार को बढ़ा देता है अर्थात् घनात्मक है।
(vi) इसके पिछे कानूनी मन्यता है।	इसके पिछे राजनीतिक मन्यता है।
(vii) यह निलंबित हो सकता है।	यह निलंबित नहीं हो सकता है।
(viii) यह व्यक्ति के भलाई के लिए है।	यह समाज मे भलाई के लिए है।

[मूल कर्तव्य]

→ इसे 42 वाँ संविधान संशोधन 1976 में सरदार पट्टी सिंह समिरी के सिफारिश पर जैशा गया इसे रूप के संविधान से लिया गया है इसे न मानने पर कोई दण्ड का प्रवधान नहीं है इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत जैशा गया मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे 42 वाँ (1976) हारा 10 कर्तव्य तथा 86 वाँ संशोधन हारा 1 और मौलिक कर्तव्य जैशा गया वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है।

- (1) संविधान का पालन करना तथा उसके आदेश संस्था (संसद SC, HC) राष्ट्रीय व्यज शास्त्रीय प्रतिक्रिया तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- (2) राष्ट्रीय अंगेलन को चैरिटी करने वाले आदेशों का पालन करना। (नारा)
- (3) देश की सम्प्रभुता (देश रहित शासन) एकता तथा अवंता को बनाये रखना।
- (4) देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना।
- (5) देश के लोगों में सम्मति (मैल-मिलाप) तथा भाँड़ चाह बनाये रखना।
- (6) देश की समृद्धि तथा जीवनपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना।
- (7) वैज्ञानिक विद्याओं अपनाना।

- (8) पर्याकरण, वन्य तथा क्याजीव की रक्षा करना।
- (9) सार्वजनिक (सरकारी) सम्पत्ति की रक्षा करना।
- (10) अक्तिगत तथा सामूहिक मलाई के लिए तैयार रखना।
- (11) 6-14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक (guardian) का यह कार्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए [86 वाँ संशोधन 2002]

86 वाँ संशोधन 2002 -

- मूल अधिकार 21(क)- 6-14 वर्षों को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
- मूल कार्य 51(क) 6-14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देना का कार्य

Note → शोषण से कमजोर की की रक्षा करना हमारी मूल कार्य नहीं है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

→ यह मानवाधिकार की रक्षा करता है। इसकी मुख्यालय दिल्ली है। इसकी व्यापना 1993 में हुई। इसकी सहायता सुप्रिम कोर्ट का रियर्ड मुख्य व्याधीश होता है। तथा इसमें भी सहायता होती है।

* कृष्णपालिका, विधायिका एवं व्यायपालिका

→ विधी / विधेयक (Bill) बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और उसे लागू करने कि शक्ति कार्यपालिका के पास होती है तथा यदि उसे लागू करने में कोई व्याधिक पुँजी होती है तो उसके व्याय में व्यवस्था करने की शक्ति व्यायपालिका के पास होती है।

